

राजस्थान - सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:निसंशि/शैक्ष-1/पं.60 पार्ट III/प्रवेशनीति/2012/16213-63 दिनांक:- 15⁶/₁₂

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/अराजकीय आचार्य/शास्त्री
संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान

विषय :- संस्कृत महाविद्यालयों में संशोधित प्रवेश नीति सत्र 2012-13 से लागू करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के पत्रांक पं.16(24) शिक्षा-6/2009 जयपुर दिनांक 14.06.2012 के द्वारा संशोधित प्रवेश नीति अनुमोदित कर दी है। अतः सत्र 2012-13 से उक्त नीति में दिये गये निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जायें।

संलग्न :- प्रवेश नीति


निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

अनुकमाणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रवेश नीति 2012-13	
	प्रथम भाग शास्त्री पाठ्यक्रम	1-2
	द्वितीय भाग आचार्य पाठ्यक्रम	3-4
	तृतीय भाग सामान्य नियम	5-8
	चतुर्थ भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	9-18

नोट - प्रवेश नीति सत्र 2012-13 राजकीय एवं अनुदानित संस्कृत महाविद्यालयों के लिए मान्य है।

प्रवेश नीति 2012-13

प्रथम -- भाग

शास्त्री पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश हेतु मानदण्ड

क. सं.	प्रवेशार्थियों का प्रकार	मानदण्ड
(अ)	राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (तृतीय भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अथवा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो	अर्हकारी परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक
(ब)	राजस्थान के बाहर के ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक

1.2 प्रवेश के लिए महाविद्यालय के लिए स्वीकृत सीटों में 75 प्रतिशत स्थान वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण एवं 25 प्रतिशत स्थान सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए निर्धारित रहेंगे। उपरोक्त निर्धारित अनुपात के आधार पर यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो अर्हताओं में किसी भी अर्हताधारी/शिक्षार्थियों से स्थान भरे जा सकेंगे।

यदि सीनियर हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण प्रवेशार्थी के संस्कृत वैकल्पिक विषय नहीं रहा हो तो उसे श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता परीक्षा प्रवेश के उपरान्त उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। शिक्षार्थी के द्वारा सम्बन्धित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा उसके द्वारा जमा कराया गया शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

संस्था प्रधान के द्वारा पात्रता परीक्षा के योग्य प्रविष्ट प्रवेशार्थियों की सूचना विश्वविद्यालय को प्रविष्ट वर्ष के 15 अगस्त तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

1.3 वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण प्रवेशार्थी शास्त्री प्रथम वर्ष में किसी भी शास्त्रीय विषय में प्रवेश ले सकेगा।

1.4 प्रत्येक महाविद्यालय में संचालित शास्त्रीय विषय में 80 स्थान प्रति विषय प्रवेश हेतु निर्धारित होंगे। प्रत्येक विषय में शास्त्री कक्षा स्तर पर न्यूनतम संख्या 20 एवं आचार्य स्तर पर 10 अनिवार्य है। विषय

पर न्यूनतम संख्या 20 एवं आचार्य स्तर पर 10 अनिवार्य है। विषय संरक्षण की दृष्टि से वेद, न्याय एवं दर्शन विषय को उक्त न्यूनतम संख्या शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं में क्रमशः 10 व 05 निर्धारित रहेगी। जनजातीय जिलों में स्थित महाविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी। किसी विषय का अपूर्ण स्थानों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्थानों को अन्य विषय/विषयों में प्राचार्य स्वविवेक से उस सत्र के लिए परिवर्तित कर निदेशालय को अवगत करायेगा। इसके पश्चात रिक्त स्थानों के लिए प्राचार्य को निदेशालय से औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पर अनुमोदन लेना होगा।

1.5 महाविद्यालय में समस्त प्रवेश योग्य छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें निदेशक संस्कृत शिक्षा को सूचित करते हुए उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर बरीयता क्रम से भरा जा सकेगा।

1.6 कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। यदि कोई छात्र प्रवेश लेने के पश्चात् टी0सी0 लेकर जाता है और विशेष परिस्थितियों में 45 दिनों के मध्य पुनः प्रवेश उसी संस्था में चाहे तो रिक्त स्थान होने एवं परीक्षा आवेदन पूर्ति के पूर्व ही प्रवेश संभव होगा।

:: विषय परिवर्तन ::

1.7 (अ) किसी भी विषय में प्रवेश के बाद अपने विषय परिवर्तन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब

(i) इच्छित विषय में स्थान रिक्त हो एवं

(ii) परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित विषय में अन्तिम प्रविष्ट छात्र के अंकों से कम न हो

(ब) विषय परिवर्तन के लिए आवेदन कर्ता विद्यार्थियों को मात्र एक विषय के परिवर्तन की अनुमति एक बार दी जा सकेगी, यदि उस विषय में स्थान उपलब्ध हो।

(स) विषय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 100/- रुपये विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराने पर ही किया जा सकेगा।

1.8 (i) शास्त्री परीक्षा की प्रथम अथवा द्वितीय कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को शास्त्री पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) शास्त्री में प्रविष्ट छात्र का यदि एस०टी०सी० या अन्य पाठ्यक्रम में कहीं प्रवेश होता है तो उसे अपनी टी०सी०संस्था से लेकर जाना अनिवार्य होगा।

:: द्वितीय भाग ::

आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

2.1 आचार्य कक्षाओं में प्रवेश के मानदण्ड

रामस्त संस्कृत महाविद्यालयों में आचार्य (पूर्वाद्ध) कक्षाओं में 10+2+3 के (स्नातक) शास्त्री/बी०ए० (संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित) उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित मानदण्ड एवं नियमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे।

क. सं.	प्रवेशार्थी का प्रकार	पाठ्यक्रम	मानदण्ड
(अ)	राजस्थान में अवस्थित किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	शास्त्री बी.ए. (संस्कृत वैकल्पिक विषय के साथ)	अर्हकारी परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक
(ब)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	उपरोक्त	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक

आचार्य कक्षाओं में प्रवेश के नियम

- (1) आचार्य कक्षा में प्रवेश हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- (2) अपर्याप्त प्रवेश की स्थिति में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु संवर्ग 2.1 के प्रत्याशियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- (3) जन जातीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 4 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- (4) किसी प्रवेशार्थी को किसी भी आचार्य महाविद्यालय में आचार्य कक्षाओं में नियमित प्रवेश की सुविधा दो बार महाविद्यालयों में संचालित दो विषयों में ही दी जायेगी यह अवसर तृतीय बार देय नहीं होगा।

- (5) (i) आचार्य पूर्वाह्न में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः उसी विषय में पूर्वाह्न में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु उसे दूसरे शास्त्रीय विषय में प्रवेश दिया जा सकेगा।
(ii) प्रवेश के बाद बी०एड०/ शिक्षा शास्त्री एवं अन्य किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन होता है तो उसे महाविद्यालय से टी०सी० लेकर जाना अनिवार्य होगा।
- (6) आचार्य पूर्वाह्न कक्षा नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण करने के बाद दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् छात्र को अग्रिम कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (7) आचार्य पूर्वाह्न में प्रविष्ट छात्र का शिक्षा शास्त्री या अन्य पाठ्यक्रम में कहीं प्रवेश होता है तो उसे अपनी टी०सी० संस्था से लेकर जाना अनिवार्य होगा।
- (8) शास्त्री प्रथम वर्ष/आचार्य पूर्वाह्न पाठ्यक्रम में प्रथम प्रवेश के समय अन्तराल की बाध्यता नहीं होगी। किन्तु प्रवेशार्थी को विशेष अपरिहार्य कारणों का या प्रवेश सत्र से पूर्व सत्र का नियमित अध्ययन और परीक्षा में प्रविष्ट होने का प्रमाण देना होगा।

2.2 आचार्य कक्षा/विषय में स्थानों की सीमा -- शास्त्री पाठ्यक्रम एवं उसमें संचालित विषयों के लिए निर्धारित स्थान ही आचार्य पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालयों में संचालित विषयों के लिए निर्धारित रहेंगे।

:: विषय परिवर्तन ::

- 2.3 (अ) किसी भी विषय में प्रवेश के बाद अपने विषय परिवर्तन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब-
- (1) इच्छित विषय में स्थान रिक्त हों।
एवं
- (2) परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित विषय में अन्तिम प्रविष्ट छात्र के अंकों से कम न हों
- (ब) विषय परिवर्तन के लिए आवेदन कर्ता विद्यार्थियों को विषय के परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी, यदि उस विषय में स्थान उपलब्ध हो।
- (स) विषय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 100/- रुपये विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराने पर ही किया जा सकेगा।

तृतीय भाग

सामान्य नियम

शास्त्री/आचार्य हेतु

3.1 प्रवेश अस्वीकरण करने का अधिकार -

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकरण कर सकता है:-

- (1) जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- (2) जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- (3) जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- (4) जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- (5) जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- (6) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो किन्तु प्रवेश वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के कम में आरोपी का प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्णय के अधीन होगा।
- (7) जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- (8) जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- (9) जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली गलौच करने का दोषी हो।
- (10) प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

3.2 निवास की परिभाषा: राजस्थान का निवासी, अभिव्यक्ति की व्याख्या निम्नांकित है :-

- (अ) जो राजस्थान का जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- (ब) जिसके माता/पिता पिछले पाँच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हो। (इस कोटि के आवेदन को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
- (स) जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

(द) जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पद स्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

(य) जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक या अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

(र) जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदन को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.आ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

(ल) ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात् राजस्थान में रह रही है (शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर)।

3.3 शास्त्री प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश -

एक बार नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है अथवा उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी विषय अथवा भिन्न विषय की उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो तथा परीक्षा में न बैठने का छात्र के पास पुष्ट कारण हों तो उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। महाविद्यालय से टी.सी प्राप्त कर अन्य प्रक्रिया के लिए जाने वाले छात्र पर यह नियम लागू नहीं होगा। किन्तु यह अन्तराल 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.4 पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश

(अ) पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

(ब) शास्त्री स्तर पर किसी भी विषय में पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को उसी विषय की आचार्य कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(स) अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिए पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णक जोड़े जायेंगे।

(द) ऐसे पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने पर उनका उक्त अस्थायी

3.5 पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्तीर्ण अथवा विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश -

किसी विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए तभी अनुमति दी जावेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों की अवधि में अथवा 31 दिसम्बर तक (जो भी पहले हो) प्रवेश हेतु आवेदन करें। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 31 दिसम्बर के बाद घोषित किए जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय नियमित प्रवेश दिए जाने की अन्तिम तिथि (31 दिसम्बर) में शिथिलता प्रदान कर देता है, तो उसी के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा। यह प्रावधान शास्त्री द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवं आचार्य (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश हेतु भी मान्य होंगे। किसी कारणवश परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए जाने की स्थिति में भी छात्रों के प्रवेश से सम्बन्धित प्रकरण इस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किए जायेंगे।

3.6 स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश

शास्त्री स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों को प्रवेश निम्नानुसार दिए जा सकेंगे :-

क्र. सं.	आवेदनकर्ता अभ्यर्थी	प्रवेश हेतु मानदण्ड
1	प्रथम भाग में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1.1 की शरणी में निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप पात्रता होने पर प्रथम भाग में योग्यता सूची में वर्गीयता के अनुसार प्रवेश देय होगा।
2	प्रथम भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया न हो	न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय भाग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा।
3	द्वितीय भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया न हो	न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर तृतीय भाग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा।
4	प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	तृतीय भाग में प्रवेश देय नहीं होगा।

~~शास्त्री द्वितीय एवं तृतीय भाग में स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा, जबकि समस्त नियमित छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त सम्बन्धित कक्षा/विषय में स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।~~

आचार्य स्तर पर पूर्वार्द्ध स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर प्रथम या द्वितीय भाग में स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। स्थान रिक्त होने की अवस्था में उत्तीर्णक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.7 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

(अ)	किसी नगर/कस्बे में अवस्थित एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी संकाय/विषय में स्वीकार्य नहीं होगा।
(ब)	भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता तथा प्रथम प्रवेश के समय घोषित संरक्षक के स्थानान्तरण जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी किन्तु माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
(स)	किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के स्थान अथवा उसके निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर (जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हो) उसके पुत्र/पुत्री संरक्षित को इस आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
(द)	माता-पिता/संरक्षक व अन्य किसी अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पूर्व तक ही होगा।

3.8 पात्रता हेतु विशेष शिथिलता -

सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग के स्थान रिक्त रह जायें, प्राचार्य ऐसी अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके कुल प्राप्तांक प्रवेश हेतु निर्धारित वांछित न्यूनतम पात्रता से केवल एक अंक कम हो।

3.9 समान योग्यता स्थान होने पर प्राथमिकता

समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्त स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी के चयन हेतु प्राथमिकताएँ:-

- (1) यदि किसी कक्षा/विषयों में लाभ के अंक प्राप्त छात्र और लाभ रहित अभ्यर्थी दोनों वरीयता सूची में समान योग्यता स्थान रखते हैं तो उनमें लाभान्वित प्रतिशत से रहित छात्र को प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (2) यदि वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्राप्तांक समान हों, तो प्रवेशिका परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी।
- (3) यदि प्रवेशिका परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हों, तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो उसे वरीयता दी जायेगी।
- (4) आचार्य महाविद्यालय में स्थानीय संस्था के शास्त्री तृतीय वर्ष उत्तीर्ण अर्हक छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित रखते हुए आचार्य प्रथम वर्ष में ज्वीन प्रवेशार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

चतुर्थ-भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

4.1 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) के अभ्यर्थी

	शास्त्री, आचार्य स्तर के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, 100 सीटों पर रेस्टर प्रणाली द्वारा एस.ओ.बी.सी.के लिये प्रत्येक 98 वें क्रम की सीट आरक्षित रहेगी। इसके लिये अभ्यर्थी को जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(अ)	शास्त्री कक्षा प्रथम भाग में तथा आचार्य प्रथम भाग में उपर्युक्तानुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
(ब)	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
(स)	यदि आरक्षण के अनुसार स्थान रिक्त रहे तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
(द)	इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते है तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
(य)	बांरा जिले में किशनगंज व शाहबाद तहसील के सहरिया जाति के शिक्षार्थियों का प्रवेश उत्तीर्णांक पर भी हो सकेगा।

4.2 विकलांग अभ्यर्थी (शास्त्री/आचार्य स्तर)

(अ)	मूक, बधिर एवं BLIND छात्र/छात्राओं को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रविष्ट छात्रों की सीटे स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त माजी जायेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
(ब)	शास्त्री में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
(स)	आचार्य स्तर पर आरक्षण विषयवार होगा। जहा यह संख्या एक हो, वहां भी वह एक स्थान आरक्षित रहेगा।
(द)	विकलांग अभ्यर्थी न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इन्हें सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।
(य)	इस नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा योग्यता

	सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
(र)	विकलांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश पाने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र नहीं है वहां सी.एम.एण्ड एच.ओ. अथवा इस हेतु अन्य अधिकृत समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

4.3 प्रतिरक्षा सेवा

क्र. सं.	Categories eligible	लाभ
(अ)	(i) Killed in action	Reservation of seats 03% in Govt. Colleges in order (i) to (iv)
	(ii) Disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/disable in service and boarded out with disability attributable to military service.	
	(iii) Gallantry award	
	(iv) Ex Servicemen	
(ब)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्य सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 03 प्रतिशत की वृद्धि।
(स)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश।

4.4 कश्मीरी विस्थापित

1.	शास्त्री में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में से एक प्रतिशत स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
2.	कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।
3.	इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को तीन प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी अभ्यर्थी को नियतांश भरणे की प्राथमिकता प्रदान करने हेतु ही देय होगा। योग्यता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

4.	कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5.	कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
6.	प्रवेश देने के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
7.	प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

खेलकूद/सह शैक्षणिक/शिक्षणोत्तर उपलब्धियों का लाभ

उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, यदि अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त परिलाभ शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त परिलाभ आचार्य पूर्वाब्द्ध में प्रवेश के समय ही दिया जावे।

4.5 खेलकूद

क. सं.	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल की विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
स	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
द	अन्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में पाँच प्रतिशत की वृद्धि
य	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में पाँच प्रतिशत की वृद्धि

र	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता अथवा विश्वविद्यालय अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अन्तर्महाविद्यालय/विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
ल	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
व	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
श	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में रीजन का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
ष	संस्कृत निदेशालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय अथवा तृतीय स्थान 1.राज्य स्तर पर 2.संभाग स्तर पर 3.जिला स्तर पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि 3 प्रतिशत की वृद्धि 2 प्रतिशत की वृद्धि

अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार राक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र,प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा,जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।

क्र. सं.	वर्ग	जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा
1	अ.ब.स.	भारतीय खेल प्राधिकरण,खेल मंत्रालय,अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित विश्वविद्यालय की क्रीडा परिषद,राज्य क्रीडा परिषद
2	द	विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद
3	य	राज्य क्रीडा परिषद,भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा अधिभूत संस्थायें
4	र तथा ल	उपनिदेशक स्तर के अधिकारी/विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद,निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त संस्कृत निदेशालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

5	व तथा श	आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
6	ष	निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे		
क. सं.	नाम खेल	
1.	एथलेटिक्स (कॉस कन्ट्री दौड़ सांहेत)	
2.	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)	
3.	बैडमिन्टन	
4.	बास्केटबॉल	
5.	शतरंज	
6.	क्रिकेट	
7.	साईकिलिंग	
8.	फुटबाल	
9.	हॉकी	
10.	कबड्डी	
11.	खो-खो	
12.	टेबिल टनिस	
13.	टेनिस	
14.	बॉलीबाल	
15.	हैण्डबाल	
16.	कुश्ती	
17.	भारोत्तोलन	
18.	जिमनास्टिक	
19.	जूडो	
20.	मुक्केबाजी	
21.	बॉलक्लाइजिंग	
22.	तीरन्दाजी	
23.	निशानेबाजी	
24.	सॉफ्टबॉल	

4.6 एन०सी०सी०

क. सं.	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी.की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश

स	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
	1. गणतंत्र दिवस कैम्प	
	2. अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	3. पैरा जम्पिंग कोर्स	
	4. आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अधिनियम (2000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) भाग लेना	
	5. छात्र/छात्रा विंग में से सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट वी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	7. स्नो-स्कीइंगकोर्स	
	8. सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति	
	गणतंत्र दिवस कैम्प की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेन्चर माउण्टेनेरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेरिंग कोर्स करने वाले को सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड और ए सर्टिफिकेट ए ग्रेड प्राप्त कैडेट को, प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् 6 प्रतिशत का लाभ देय होगा।	
द	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर	
1	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कोर्स	
2	छात्र/छात्रा विंग का सी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के पास	
3	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
4	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
5	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
6	जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट सी ग्रेड के साथ	
7	अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति	
		प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

4.7 पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग

क्र. सं.	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तराष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश

ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

4.8 राष्ट्रीय सेवा योजना

क्र. सं.	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	व्यूनतम अर्हतायें पूर्ण करने पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में राज्य स्तर/विभाग स्तर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

4.9 रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड

क्र. सं.	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त किया हो	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर बैज प्राप्त किया जो राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता गत 3 वर्ष की अवधि।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीड में भाग लिया हो, पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता गत तीन वर्ष की अवधि में।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

4.10 सह शैक्षणिक गतिविधियाँ

क्र. सं.	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश केवल एक बार
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई०सी० सी०आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि

	<p>किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व उपर्युक्त ब एवं स के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्धक कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देया नहीं होगा।</p>	
द	<p>राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग को प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त</p>	<p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि</p>

4.1.1 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

क. सं.	श्रेणी	लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा निदेशालय संस्कृत शिक्षा की सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
1	नियम संख्या 4.4 से 4.1.1 के अन्तर्गत ज्यूनियर उर्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।	
2	उपर्युक्त लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण पत्र पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
3	उपर्युक्त नियम 4.4 से 4.1.1 में वर्णित लाभों में से एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।	
4	उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा।	

	गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।
4	उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा।
5	विद्यार्थी द्वारा विद्यालय स्तर पर प्राप्त उपलब्धि का लाभ शास्त्री भाग प्रथम तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त उपलब्धि का लाभ आचार्य पूर्वाब्धि की कक्षा में प्रवेश हेतु केवल एक बार देय होगा।
6	उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ इस आशय का पृथक से आवेदन पत्र देना होगा। इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा।

विशेष :-

प्रवेश नीति 2012-13 के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होजे की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारिणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर निदेशालय से सहायता प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

निर्देश :-

राज्य अधिसूचना क्रमांक पं.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 09.03.10 तथा कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्राक विभाग,राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक एफ/(39)/10/3099-3132 दिनांक 10.04.10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र,मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ.मण्डन शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर